# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1747

दिनांक 22.07.2025

## जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

**01- संक्षिप्त विवरण-**

उ0नि0 गुड्डू प्रसाद द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 642/2025 धारा 324(4)/351(3) बीएनएस की विवेचना उ0नि0 गुड्डू प्रसाद द्वारा किया जा रहा है जांच के क्रम मे दिनांक 21/07/2025 को उ0नि0 द्वारा दर्ज मुकदमें जिसमे विपक्षीगणो द्वारा वादी मुकदमा के प्लाट की बाउन्डरी गिरा देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। वादी मुकदमा व आरोपित राजेश कुमार उपरोक्त को थाना हाजा पर तलब किया गया था दोनो पक्षो के मध्य वार्ता करायी जा रही थी की विपक्षीगण राजेश कुमार व सूरज द्वारा दर्ज मुकदमे को वापस लेने को लेकर वाद विवाद कर आमादा फौजदारी होने लगे दोनो पक्षो को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु विपक्षीगण मानने को तैयार नही हो रहे है शान्ति व्यवस्था भंग होता देख मौके से 1.राजेश कुमार पुत्र श्री मुनई निवासी विजय नगर थाना नाका हिन्डोला जनपद लखनऊ 2. सूरज पुत्र विश्राम निवासी ग्राम कोरला कला सदन पट्टी थाना जैतपुर जिला अम्बेडकर नगर हालपता विजय नगर थाना नाका हिन्डोला जनपद लखनऊ को शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा 126/135/170 बीएनएसएस मे समय करीव 20.10 बजे हिरासत पुलिस लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

**02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. राजेश कुमार पुत्र श्री मुनई निवासी विजय नगर थाना नाका हिन्डोला जनपद लखनऊ उम्र 36 वर्ष
2. सूरज पुत्र विश्राम निवासी ग्राम कोरला कला सदन पट्टी थाना जैतपुर जिला अम्बेडकर नगर हालपता विजय नगर थाना नाका हिन्डोला जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष

**03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

मानवाधिकार आयोग के आदेशो/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त 1. अमन कुमार S/O दिनेश कुमार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कल्लू पुरवा थाना कुर्सी जिला बाराबंकी सम्बन्धित मु0अ0सं0 92/2025 धारा 303(2),317(2) BNS थाना सैरपुर जनपद लखनऊ के विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0न्यायालय भेजा गया।

**02-अपराध कारित करने का तरिका**

चोरी कर लाभ प्राप्त करना

**03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—**

1.अमन कुमार S/O दिनेश कुमार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कल्लू पुरवा थाना कुर्सी जिला बाराबकी ( मजदूरी का काम करता है)

**04-बरामदगी:-**

- 01 अदद मोबाइल रेडमी रंग नीला आईएमईआई NO 869090041902405 व 869090041902413

**05-आपराधिक इतिहास-**

**(1).अमन कुमार S/O दिनेश कुमार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कल्लू पुरवा थाना कुर्सी जिला बाराबंकी**

1. मु0अ0सं0 91/2025 धारा 303(2)/317 (2) बी0एन0एस0 थाना सैरपुर लखनऊ
2. मु0अ0सं0 216/2024 धारा 25/4 आयुध अधिनियम थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी
3. मु0अ0सं0 298/2024 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी
4. मु0अ0सं0 299/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी

**06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना सैरपुर-**

1. उ0नि0 श्री रामदेव
2. का0 नवीन कुमार
3. का0 राजेश आर्य

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-1745**
**दिनांक-22.07.2025**

**जोन- उत्तरी/थाना-सैरपुर**

- **थाना सैरपुर पुलिस टीम द्वारा मोबाइल चोरी की घटना को कारित करने वाले एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल रेडमी , आईएमईआई NO 869090041902405 , 869090041902413 हुआ बरामद**

**01-सक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 21.07.2025 को आवेदक श्री महेश पाल पुत्र स्व0 छंगालाल निवासी कमलाबाद बढौली थाना सैरपुर लखनऊ द्वारा थाना सैरपुर जनपद लखनऊ पर सूचना दी गयी कि दिनांक 19.07.2025 को दूध मण्डी के पास आवदेक की चाय की दुकान का टट्टर व पन्नी सही कराने के लिये लेबर अमन कुमार पुत्र दिनेश कुमार नि0 गांव कल्लू पुरवा थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी को बुलाया था। जिसने काम के बाद रात के समय 11 से 12 बजे के मध्य मेरी दुकान पर रखा मोबाइल फोन व गाड़ी की चाभी चोरी कर लिया, सी0सी0टी0वी0 कैमरा देखने पर चोरी करने वाले अमन पुत्र दिनेश के बारे में जानकारी हुई है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर तहरीर प्राप्त हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 92/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री रामदेव द्वारा सम्पादित की जा रही थी। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए नामित अभियुक्त की तलाश प्रारम्भ की गयी ।

आज दिनांक 22.07.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 92/2025 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामित अभि0 अमन कुमार , कन्ट्री क्लब मोड थाना सैरपुर के पास घर जाने के लिए खडा है, सूचना पर उ0नि0 श्री रामदेव मय पुलिस फोर्स के कन्ट्री क्लब मोड पर पहुंच कर मोड पर खड़े व्यक्ति को पकड़ कर नाम-पता पूछने पर उसने नाम अमन कुमार पुत्र दिनेश कुमार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कल्लू पुरवा थाना कुर्सी जिला बाराबंकी बताया नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो पहने जीन्स पैंट की दाहिनी जेब से 01 अदद एण्ड्रायड मोबाइल रेडमी रंग ब्लू बरामद हुआ विवेचना रजिस्टर से मु0अ0सं0 92/25 धारा 303(2) BNS थाना सैरपुर में नामित अभियुक्त अमन कुमार के नाम पता तथा चोरी गये रेडमी मोबाइल के आईएमईआई NO 869090041902405 व 869090041902413 से मिलान किया तो चोरी गये मोबाइल नं0 के आई एम0ई0आई0 व अभियुक्त अमन कुमार के पास से बरामद मोबाइल के आई0एम0ई0आई0 का मिलान करने पर चोरी गये मोबाइल का आई0एम0ई0आई0 पाया गया अभियुक्त अमन कुमार S/O दिनेश कुमार नि0 उपरोक्त का यह कृत्य धारा 303(2)/317(2) BNS का अपराध बताकर गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय व

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1741

दिनांक-22.07.2025

**जोन- दक्षिणी/ थाना- नगराम**

- **प्रतिबंधित पशु (गोवंश) की हत्या का प्रयत्न करने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

**01- संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 15.07.2025 को नगराम पुलिस द्वारा करोरा कस्बा निकट शराब ठेका के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी कि जरिये मुखविर सूचना मिली कि ग्राम नेवाज खेड़ा के पास जंगल में एक मोटरसाईकिल व एक स्कूटी खड़ी है तथा पाँच-छः लोग गाय या बैल को जंगल के अन्दर ले जाकर बांधे हैं इस सूचना पर नगराम पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो एक पेड से रस्सी में एक बैल बंधा हुआ था, बैल के पास 06 व्यक्ति बैठे थे पुलिस वालो को देखकर सभी भागने लगे जिसमें से 02 को मौके पर ही पकड़ लिया गया था अन्य चार व्यक्ति अंधेरे व झाडियों का फायदा उठाकर मोटरसाईकिल व पैदल भाग गये थे।

जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-169/25 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम 1955 पंजीकृत किया गया था। **पकडे गये व्यक्तियों को दिनांक 16.07.2025 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।**

विवेचना के क्रम में फरार व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु पतारसी सुरागरसी की जा रही थी कि मुखविर खास की सूचना पर नामित अभियुक्त आशीष पुत्र राममिलन उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पस्तरा थाना गोसाईगंज लखनऊ को आज दिनांक 22.07.2025 को मदारपुर से पहले केवली मार्ग पर स्थित भट्ठे के पास थाना क्षेत्र नगराम से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आशीष पुत्र राममिलन उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शेष फरार अभियुक्तो की तलाश की जा रही है।

**02-घटना का उद्देश्य-**

अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से गौहत्या करना व गौमांस को बेचकर जीवकोपार्जन करना।

**03-गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. आशीष पुत्र राममिलन उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पस्तरा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ।

**04- अनावरित अभियोग -**

1. मु0अ0स0-169/25 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम 1955

**अनावरित अभियोग के अलावा कोई आपराधिक इतिहास नही।**

**06- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 संजय सिंह
2. हे0का0 अम्बिकेश तिवारी
3. का0 मनोज यादव

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-1743**
**दिनांक- 22.07.2025**

**जोन- उत्तरी / थाना मलिहाबाद लखनऊ**

- **शान्ति भंग करने वाले 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**

**01-सक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 22.07.2025 को काजीखेडा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ के रहने वाले अभियुक्तगण 1. लवकुश पुत्र लल्ला यादव उम्र करीब 19 वर्ष 2.शानू पुत्र तिवारी उम्र करीब 19 वर्ष मो 3. अवधेश यादव पुत्र बालक राम उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण ग्राम काजी खेडा सैंधरवा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ द्वारा वादी के एनसीआर लिखाने की बातो को लेकर वादी के साथ विवाद कर रहे थे, अभियुक्तगण लवकुश, शानू, अवधेश यादव को पुलिस बल द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु अभियुक्तगण और उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अभियुक्त 1. लवकुश पुत्र लल्ला यादव 2. शानू पुत्र तिवारी 3. अवधेश यादव पुत्र बालक राम को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में आज दिनांक 22.07.2025 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया अभि0 उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**02-अपराध कारित करने का तरिका**

एनसीआर लिखाने की बाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ विवाद करना व अमादा फौजदारी होना जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होना।

**03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. लवकुश पुत्र लल्ला यादव उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम काजी खेडा सैंधरवा थाना मलिहाबाद लखनऊ।
2.शानू पुत्र तिवारी उम्र करीब 19 वर्ष मो निवासी ग्राम काजी खेडा सैंधरवा थाना मलिहाबाद लखनऊ।
3. अवधेश यादव पुत्र बालक राम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम काजी खेडा सैंधरवा थाना मलिहाबाद लखनऊ।

**04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना मलिहाबाद-**

1.उ0नि0 दीपक कुमार
2. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1748

दिनांक-22.07.2025

**जोन-मध्य/ थाना-महानगर**

- **वादी के नाबालिग पौत्र के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

**01.संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 22.07.2025 को वादी मुकदमा की लिखित तहरीर बावत दिनांक-21.07.2025 को अभियुक्त द्वारा वादी के नाबालिग पौत्र उम्र करीब 14 वर्ष के साथ अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में थाना महानगर पर दिनांक 22.07.2025 को मु0अ0सं0 182/2025 धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया है।

दौराने विवेचना अभियुक्त को थाना महानगर की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.07.2025 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त अजय कुमार पुत्र स्व0 द्वारिका प्रसाद नि0 न्यू हैदराबाद आर्य कन्या स्कूल के पीछे महानगर लखनऊ स्थायी पता- ग्राम व पोस्ट बसौठ जिला महोबा उम्र करीब 55 वर्ष के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

**02-अपराध का तरीका-**

- अभियुक्त अजय कुमार पुत्र स्व0 द्वारिका प्रसाद नि0 न्यू हैदराबाद आर्य कन्या स्कूल के पीछे महानगर लखनऊ स्थायी पता- ग्राम व पोस्ट बसौठ जिला महोबा उम्र करीब 55 वर्ष के द्वारा वादी के नाबालिक पौत्र को मोटर- साइकिल चलाने का बहाना देकर अपने कमरे पर ले जाना व वादी के पौत्र के साथ गलत अश्लील हरकत किये जाने के सबन्ध में।

**03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—**

1.अजय कुमार पुत्र स्व0 द्वारिका प्रसाद नि0 न्यू हैदराबाद आर्य कन्या स्कूल के पीछे महानगर लखनऊ स्थायी पता- ग्राम व पोस्ट बसौठ जिला महोबा उम्र करीब 55 वर्ष

**04- पंजीकृत/अनावरित अभियोगः-**

(1) मु0अ0सं0 182/2025 धारा 9/10 पोक्सो एक्ट थाना महानगर लखनऊ

**07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -**

1. उ0नि0 अरुण प्रताप सरोज थाना महानगर लखनऊ
2. उ0नि0 दीपक कुमार थाना महानगर लखनऊ

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-1746**
**दिनांक- 22.07.2025**

**जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव**

- **थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अवैध गांजा तस्कर को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 1130 ग्राम नाजायज गांजा व 830/- रुपये बरामद।**

**01-संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 21.07.2025 को थाना मडियांव लखनऊ की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित/ वारंटी चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में फैजुल्लागंज के पास जुड़वा मन्दिर पर मामूर थी। मुखबिर खास ने आकर बताया कि एक व्यक्ति लोहरामऊ में एक निर्माणाधीन मकान के पास झोले में गांजा लेकर खड़ा है जिसे वह बेचने के लिए जा रहा है यदि आप लोग जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है। मुखविरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम शकील सिद्दीकी पुत्र शरीफ सिद्दीकी निवासी-नया पुरवा फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ,मूलपता-कस्बा महोना थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब-25 वर्ष बताया।

पकड़े गये व्यक्ति के कब्जे से कुल 1130 ग्राम अवैध गांजा तथा 830/- रूपया बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्तियों को उसके द्वारा कारित जुर्म व धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट से अवगत कराते हुए दिनांक 21.07.2025 को हिरासत पुलिस में लिया गया। बरमदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 430/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

**02-अपराध कारित करने का तरीका-**

अभियुक्त द्वारा सस्ते दामों में अवैध गाँजा लाकर लखनऊ में अलग - अलग स्थानों पर अवैध रूप से चोरी - छुपे लोगों को ऊँचे दामों में बेच देना, जिससे कम समय मे ज्यादा मुनाफा होना और अपना खर्च चलाना।

**03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. शकील सिद्दीकी पुत्र शरीफ सिद्दीकी निवासी-नया पुरवा फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ,मूलपता-कस्बा महोना थाना इटौजा जनपद लखनऊ उम्र करीब-25 वर्ष (व्यवसाय – मजदूरी)

**4-बरामदगी**

- कुल 1130 ग्राम अवैध गांजा
- 830/- रूपया नगद

**05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम**

01.उ0नि0 उ0नि0 सत्येन्द्र प्रताप सिंह

02.हे0का0 रामदिनेश

03.हे0का0 चन्द्रपाल सिंह राठौर

04.का0 नीरज कुमार

05.का0 अफसर अली

06.का0 उदयभान सिंह

07.का0 भरतपाल

## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-1744**
**दिनांक-22/07/2025**

**जोन-पश्चिमी/ थाना- कैसरबाग**

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

**01. संक्षिप्त विवरण-**

थाना स्थानीय पर 22.07.2025 को म0उ0नि0 सीमा यादव मय हमराह उ0नि0 गौरव निर्भाकर व का0 धर्मेन्द्र सिह के देखभाल क्षेत्र, शान्ति व्यवस्था व तलाश संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेंकिग व बीट घसियारी मंडी क्षेत्र रात्रि गस्त मे मामूर थी। आमजन द्वारा सूचना दी गयी कि एक व्यक्ति लाटूश रोड़ घसियारी मंडी मे आने जाने वाले व्यक्तियों के साथ अकारण गाली गलौज कर रहा है। मौके पर पहुँचकर देखा कि एक व्यक्ति विकास कनौजिया उपरोक्त आने जाने वाले व्यक्तियो के साथ गाली गलौज कर रहा है। तो पुलिस बल के सामने और अधिक आमादा फौजदारी हो गया। शांति व्यवस्था भंग होकर संगीन अपराध घटित होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त विकास कनौजिया पुत्र स्व0 इन्द्र कुमार कनौजिया नि0 28 ख्यालीगंज थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष को कारण गिरफ्तारी व जुर्म धारा से अवगत कराते हुए आज दिनांक-22.07.2025 को पुलिस हिरासत में लेकर नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

**02. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. विकास कनौजिया पुत्र स्व0 इन्द्र कुमार कनौजिया नि0 28 ख्यालीगंज कैसरबाग थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष

**03. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. म0उ0नि0 सीमा यादव
2. उ0नि0 गौरव निर्भाकर
3. का0 धर्मेन्द्र सिंह

**03-पूछताछ का विवरण:-**

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताया कि बीती रात दिनांक 21/22-07-2025 को हम लोगो से होटल इशान इन के कर्मचारी दिवाकर यादव से बहस हो गयी थी, जिस पर मेरे महिला मित्र पुष्पा गौतम उर्फ पायल को होटल से लेकर वापस आ रहा था की रास्ते में पुष्पा गौतम उर्फ पायल व मुझे दिवाकर यादव द्वारा लाते समय किये गये कमेन्ट को लेकर हम दोनो ने सबक सिखाने के लिये वापस पुनः इशान इन होटल गये जहां पर दिवाकर यादव होटल के बाहर दिखाई दे दिया जिसको मैनें जान से मारने की नियत से अपने पास रखे असलहे से दिवाकर पर लक्ष्य करते हुये फायर किया जिसमें वहां पर दिवाकर गिर गया और लोग भागने लगे मेरी मोटर साईकिल स्टार्ट नही हो रही थी तो मैने अपनी मोटर साईकिल छोड़कर अपनी महिला मित्र पुष्पा गौतम उर्फ पायल को साथ मे लेकर वहां से छुपते-छुपाते भाग निकला और दूसरे होटल मे छिप गया था, आज लखनऊ से बाहर भागने के लिये हम दोनो निकले थे कि आप पुलिस वालो ने पकड़ लिया।

**04-अनावरित अभियोग का विवरण:-**

1.मु0अ0सं0-369/25 धारा-103(1) बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ

**05-गिरफ्तार अभियुक्त / अभियुक्ता का विवरण -**

1.आकाश तिवारी पुत्र विनोद कुमार निवासी ओम साई विष्णु विहार कालोनी कंचनपुर मटियारी चिनहट मूलपता अमसिन थाना गोसाईगंज अयोध्या उम्र-22 वर्ष

2. पुष्पा गौतम पुत्री भोला प्रसाद बनकटी उर्फ इट्हिया बेलवा रायपुर थाना गुलरिया चरगांवा जनपद गोरखपुर हाल पता ग्वारी गांव विकासखण्ड 05 चिनहट लखनऊ उम्र-26 वर्ष

**06-अपराधिक इतिहास (अभियुक्त-आकाश तिवारी) -**

1. मु0अ0सं0- 385/2023 धारा 120बी/147/148/302/307 भादवि व 3(2)(V) SC/ST ACT थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ
2. मु0अ0सं0 008/24 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना थाना बी0बी0डी0 जनपद लखनऊ।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**07-अनावरण करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश चन्द्र मिश्र थाना चिनहट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री धनंजय सिंह थाना चिनहट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री रितेश भदौरिया थाना चिनहट लखनऊ
4. म0उ0नि0 श्रीमती सरिता यादव थाना चिनहट लखनऊ
5. उ0नि0 श्री अभिषेक तिवारी थाना चिनहट लखनऊ
6. का0 अभिषेक यादव थाना चिनहट लखनऊ
7. का0 देव सरण भारती थाना चिनहट लखनऊ
8. म0का0 रुचि सिंह थाना चिनहट लखनऊ

## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-1742**

**दिनांक-22.07.2025**

**पूर्वी-जोन/ थाना-गोमतीनगर विस्तार**

- **नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले 01 नफर आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

**01-संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 19.07.2025 को वादी मुकदमा की लिखित तहरीर बावत वादी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष बिना बताये घर से कही चले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 129/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहता की बरामदगी हेतु थाना स्थानीय से काफी प्रयास किये गये।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहता को दिनांक 21.07.2025 को खरगापुर क्रांसिग के पास से बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी व प्रकाश में आये अभियुक्त प्रियान्शु पुत्र रामस्वरूप विश्वकर्मा उर्फ राजू नि0 हंसुपुर राजघाट वार्ड नं 45 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर उम्र 19 वर्ष को अपने जुर्म धारा 87/137(2) बीएनएस से अवगत कराते हुए दिनांक 21.07.2025 को हिरासत पुलिस में लिया गया, दौराने गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों - निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। बाद गिरफ्तारी विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**02-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0 129/2025 धारा 87/137(2) BNS थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

**03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. प्रकाश में आये अभियुक्त प्रियान्शु पुत्र रामस्वरूप विश्वकर्मा उर्फ राजू नि0 हासुपुर राजघाट वार्ड नं 45 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर उम्र 19 वर्ष।

**04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 शुभम अवस्थी थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ।
2. का0 रविन्द्र कुमार थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ।
3. म0का0 अंजली मिश्रा थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं.-1740**
**दिनांक-22.07.2025**

## जोन-पूर्वी / थाना- चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा होटल इशान-इन के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या की घटना का चंद घंटो में सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

**01-कार्यवाही-**

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-369/25 धारा- 103(1) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ से संबन्धित हत्या की घटना में संलिप्त 01. आकाश तिवारी पुत्र विनोद कुमार निवासी ओम साई विष्णु विहार कालोनी मटियारी चिनहट मूलपता अमसिन थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या उम्र-22 वर्ष व प्रकाश मे आयी अभियुक्ता- 01. पुष्पा गौतम उर्फ पायल पुत्री भोला प्रसाद बनकटी उर्फ इट्हिया बेलवा रायपुर थाना गुलरिया चरगांवा जनपद गोरखपुर हाल पता ग्वारी गांव विकासखण्ड 05 चिनहट लखनऊ उम्र-26 वर्ष को तुलिप अपार्टमेंट के सामने फल मण्डी रोड थाना चिनहट लखनऊ के पास से दिनांक 22.07.2025 को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**02- सक्षिप्त विवरण-**

थाना स्थानीय पर दिनांक 22.07.25 को वादी मुकदमा देवेन्द्र मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा निवासी– प्रेमबाग कालोनी थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष के होटल पार्टनर उदय का ममेरा भाई दिवाकर यादव पुत्र दीपू यादव निवासी ग्राम बलहरी थाना जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर उम्र 20 वर्ष (मृतक) की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 369/25 धारा-103(1) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ बनाम-1.आकाश तिवारी व एक अज्ञात लडकी निवासीगण अज्ञात नामजद पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना प्र0नि0 श्री दिनेश चन्द्र मिश्र थाना चिनहट द्वारा सम्पादित की जा रही है। घटना स्थल का उच्चाधिकारीगण महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया तथा मौके पर फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही किया गया। घटना को संज्ञान लेते हुए उच्चाधिकारीगण महोदय के आदेश/निर्देश के क्रम में घटना के सफल निस्तारण/अनावरण हेतु तत्काल प्रभाव से गठित टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या करने में संलिप्त अभियुक्त / अभियुक्ता को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।